

कायालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला-दुर्ग
निविदा सूचना

क्रमांक / लो.क.वि. / जोन-1 / 2026 / 07-

भिलाई, दिनांक : 02/04/26

आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग के भवन निर्माण एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 / रोड एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 एवं 01.01.2025 तथा विद्युत एस.ओ. आर. 01.06.2020 एवं अद्यतन संशोधन के आधार पर कम/अधिक एवं आयटम दर पर निम्नलिखित कार्य हेतु निम्नानुसार दिनांक एवं समय तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।


- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. आवेदन की अंतिम तिथि | - 20/04/2026 सायं 5:30 बजे तक |
| 2. निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि | - 27/04/2026 सायं 5:30 बजे तक |
| 3. निविदा खोले जाने की तिथि | - 28/04/2026 |

क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत	घरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	ठेकेदारों की श्रेणी	फार्म
1	वार्ड 01 खम्हरिया प्रधानमंत्री आवास योजना क्षेत्र में मार्ग प्रकाश व्यवस्था का संधारण कार्य।	3.94	4000.00	750.00	45 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.वी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
2	स्मृति नगर में सरयूपारिय ब्राम्हण समाज के भवन के पास सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	5.00	5000.00	750.00	120 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.वी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
3	जी.ई. रोड के बगल में बुद्ध भूमि कोसानगर के पास सार्वजनिक पुरुष प्रसाधन कक्ष निर्माण कार्य।	3.00	3000.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.वी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
4	जी.ई. रोड के बगल में बुद्ध भूमि कोसानगर के पास सार्वजनिक महिला प्रसाधन कक्ष निर्माण कार्य।	3.00	3000.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.वी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
5	कोहका काली मंदिर के पास सड़क का मुरुमीकरण (डब्ल्यू.एम.एम.) का कार्य।	3.00	3000.00	750.00	60 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.वी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
6	नेहरू नगर चौक के पास सार्वजनिक सामुदायिक भवन का संधारण कार्य।	3.00	3000.00	750.00	60 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.वी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम

नोट :-

- निविदा क्रं 01 के लिये छ.ग. विद्युत मण्डल (इलेक्ट्रिकल लाईसेंस) का पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- प्राप्त एफ.डी.आर की परिपक्वता तिथि पूर्ण रूप से निविदा प्राप्ति तक चालू होना अनिवार्य है। परिपक्वता तिथि समाप्त होने पर निविदा दर नहीं खोली जावेगी।
- शपथ पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ सील मय हस्ताक्षर युक्त होना अनिवार्य है।
- सम्पूर्ण दस्तावेजों में स्वयं का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
- जीवित ठेकेदारी ई-पंजीयन, जीवित बैंक साल्वेंसी, पेनकार्ड, जी.एस.टी. प्रमाण पत्र एवं 03 साल का आई.टी.आर. (वित्तीय वर्ष अनुसार) हस्ताक्षर युक्त होना अनिवार्य है।

नियम एवं शर्तें:-1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। 2. निविदा स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किये जावेंगे। 3. धरोहर राशि कार्यपालन अभियंता/जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से संयुक्त एफ.डी.आर. किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का संलग्न करना होगा प्रत्येक कार्य के लिये जीवित ठेकेदारी ई-पंजीयन, व्यवसायिक कर प्रमाण पत्र 03 वर्ग, पेन कार्ड, जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र, जीवित बैंक सालवेंसी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति लिफाफा "क" में प्रस्तुत करना है, एवं निविदा प्रपत्र दर सहित लिफाफा "ख" में प्रस्तुत करना होगा। 4. कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी। 5. सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी भी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। 6. नगर निगम की वाहनों से निर्माण कार्य हेतु पानी लेने पर देयक से 1% राशि की कटौती की जावेगी, किन्तु निगम वाहनों से जल उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं रहेगा। निगम क्षेत्र के स्ट्रोंतों से स्वयं के वाहनों से पानी लेने पर 0.5% की कटौती की जावेगी। 7. सफल निविदाकार की निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि की एफ.डी.आर. नियमानुसार परफारमेंस गारंटी के रूप में संविदा के पूर्व जमा करना होगा। 8. शासन के निर्देशानुसार श्रमिकों से संबंधित कार्यों हेतु श्रमिकों का पी.एफ. कटौती किया जाना है तथा बैंको में खाता खोलकर सीधे उनके बैंक खाते में श्रमायुक्त द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप प्रतिमाह राशि जमा किया जाना है। 09. शपथ पत्र। 10. प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने पर पंजीयन निरस्त कर, काली सूची में दर्ज करने की कार्यवही की जावेगी। 11. यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जायेगा। 12. किसी भी विवाद स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। 13. ऐसे व्यक्तियों को जो किसी भी तरह के लिए पहले ठेके निश्चित समय और राशि कें पूरा करने में असफल हुए हो, को ठेका नहीं दिया जायेगा। 14. सभी दस्तावेज स्वयं प्रमाणित/नोटरी प्रमाणित होना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय एवं तिथि में कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जोन क्र.-01 नेहरू नगर तथा नगर पालिक निगमभिलाई की वेबसाइट <https://bhilainagarnigam.com> अथवा संचालनालय की वेबसाइट <https://uad.cg.gov.in> से देखी जा सकती है।


 जोन आयुक्त
 जोन क्रमांक-01
 नगर पालिक निगम,
 भिलाई